पत्रांक 1480 दि० - 20/6/2022

दिनांक– 15.06.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा जहानाबाद में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की समीक्षात्मक बैठक एवं शिविर स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशः–

दिनांक– 15.06.2022 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा जहानाबाद जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। समाहरणालय में आयोजित जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद, अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सभी अंचल अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सभी विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो उपस्थित थे।

समीक्षात्मक बैठक में जहानाबाद जिले के 04 अंचलों में गठित 10 विशेष सर्वेक्षण शिविर अंतर्गत चल रहे कार्यों के प्रगति की ग्रामवार समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित निदेश दिए गएः–

1. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रक्रमवार मानचित्रों यथा सीमा सत्यापन, किस्तवार, खानापुरी आदि के उपरांत अपडेट करके शिविरों को आपूर्ति की जानेवाली प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए निदेश दिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रत्येक प्रक्रम के मानचित्र की PDF प्रति तैयार कर सॉफ्ट कापी में अविलंब शिविरों को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि शिविर स्तर पर कार्य बाधित नहीं हो।
2. बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्लॉटर खराब होने के कारण मानचित्रों की आपूर्ति ससमय नहीं की जा सकी है।

   निदेशित किया गया कि प्लॉटर की कमी के कारण हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का कार्य बाधित होता है तो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा एजेंसियों से एक निर्धारित शुल्क लेकर प्लॉटर उपलब्ध करा दिया जाय।
3. समीक्षा के क्रम में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से तैयार किए गए Map Module के अनुसार हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 के पास कुल 253 राजस्व ग्रामों में ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् उपलब्ध कराये गये मानचित्रों में 106 एवं किस्तवार पश्चात् एजेंसी को उपलब्ध कराए गए मानचित्रों में 33 मानचित्र एजेंसी के पास लंबित पाये गये।

   हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों क पास लंबित मानचित्रों की स्थिति एवं इसके कारण कार्य में हो रही बाधा के लिए हवाई सर्वेक्षण को किये जाने वाले भुगतान में कटौती करने का निदेश दिया गया।
4. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक दशा में खानापुरी करने के लिए दिए जानेवाले मानचित्र के साथ Parent Child Relationship Data एवं Plotwise Area Statement भी विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराया जाय।
5. निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत जो राजस्व ग्राम नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आ गए है, उन्हें समीक्षा की जानेवाली सूची से अलग करते हुए यह टिप्पणी में उनकी संख्या अंकित कर दी जाय।
6. जिला अंतर्गत निदेशित किया गया कि जिले के अंतर्गत कुल राजस्व ग्रामों में 50 प्रतिशत ग्रामों का प्रारूप अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र प्रकाशन अगस्त–2022 एवं शेष 50 प्रतिशत राजस्व ग्रामों का सितंबर–2022 में करना सुनिश्चित किया जाए।

7. निदेशित किया गया कि खानापुरी प्रक्रम में जिन रैयतों द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है एवं राजस्व अभिलेखों के सत्यापन से स्वामित्व स्पष्ट होता है तो वैसी स्थिति में किसी तरह का विवाद नहीं रहने पर उपलब्ध साक्ष्य तथा कागजात एवं भौतिक निरीक्षण के आधार पर स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिया जाए एवं आदेश में अपील की प्रक्रिया का भी वर्णन कर दिया जाए।
8. प्रत्येक अमीन द्वारा एक दिन में कम–से–कम 100 खेसरों का किस्तवार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए एवं प्रत्येक दशा में किस्तवार के कार्य को निर्धारित समय–सीमा (1 माह) के अंदर पूर्ण किया जाए। जिन ग्रामों में खेसरों की संख्या 1000 से कम है, वहाँ किस्तवार के कार्य को 10 दिनों में पूरा कर वहाँ के अमीन को वैसे ग्रामों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए, जहाँ खेसरों की संख्या 2000 से अधिक है।
9. वैसे क्षेत्र जहाँ चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो गया है और चकबन्दी के अनुसार दखल में है और जमाबन्दी चकबन्दी के अनुसार चल रही है, किन्तु चकबन्दी खतियान एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक खेसरे का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक दखल के अनुसार उनका सत्यापन राजस्व अभिलेख/खतियान की सहायता से करते हुए स्वामित्व का निर्धारण किया जाए।
10. जहानाबाद सदर अंचल के अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उनकी आवश्यकतानुसार विगत सर्वेक्षण के मानचित्र अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद को अंचल अधिकारी को मानचित्र मुद्रण के लिए दो रॉल कागज उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
11. बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा संधारित की जानेवाली डायरी एवं उपस्थिति की समीक्षा उपरांत ही वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की जिलास्तरीय समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा मोदनगंज अंचल के देउरा पंचायत सरकार भवन में स्थित मोदनगंज शिविर संख्या–1 में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई एवं प्रत्येक अमीन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। मोदनगंज, शिविर संख्या–1 अंतर्गत कुल 28 राजस्व ग्रामों की समीक्षा उपरान्त प्रगति निम्नवत् पाईः–

- कुल राजस्व ग्रामों की संख्या– 28
- कुल पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की संख्या– 18
- किस्तवार प्रारंभ राजस्व ग्राम– 11
- किस्तवार पूर्ण राजस्व ग्राम– 07
- खानापुरी पर्ण राजस्व ग्राम– 02
- प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्राम– 0

उक्त प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए:–

(i) शिविर अंतर्गत जिन राजस्व ग्रामों का किस्तवार पूरा नहीं हुआ है, उनमें 02 सप्ताह के अन्दर किस्तवार पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक अमीन द्वारा एक दिन में कम–से–कम 100 खेसरों का किस्तवार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) जिन 07 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण हो चुका है, वहाँ एक माह के अन्दर खानापुरी पूर्ण कर निर्धारित अवधि के अन्दर सुनवाई का कार्य पूर्ण किया जाए एवं जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रारूप प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) शिविर अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन माह–अगस्त–2022 के अंतिम सप्ताह तक करना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) किस्तवार की प्रक्रिया में रैयतों द्वारा विवाद उत्पन्न किए जाने पर अमीनों द्वारा संबंधित दोनों पक्षों को सुनकर उनके कागजात प्राप्त कर लिए जाए किन्तु किसी भी दशा में किस्तवार की प्रक्रिया में सुनवाई नहीं की जाए और न ही कोई निर्णय दिया जाए। सुनवाई एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार के स्तर से ही की जाए।

(v) जिन राजस्व ग्रामों में खानापुरी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वहाँ यथाशीघ्र प्रारूप अधिकार–अभिलेख का प्रकाशन करते हुए अंतिम अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

(जय सिंह) 20/6/22
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0 (3) विविध (नोडल पदाधिकारी) 05/2021 1480 **पटना, दिनांक:** 20/6/2022

प्रतिलिपि:– बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, जहानाबाद/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जहानाबाद/सभी शिविर प्रभारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, 20/6/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0 (3) विविध (नोडल पदाधिकारी) 05/2021 1480 **पटना, दिनांक:** 20/6/2022

प्रतिलिपि:– बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/ नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप 20/6/22

ज्ञापांकः 01 / भू0अ0नि0 (3) विविध (नोडल पदाधिकारी) 05 / 2021 1480 पटना, दिनांकः 20/6/2022
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप / श्री अशोक कुमार शर्मा, स0ब0प0–सह–नोडल पदाधिकारी, जहानाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, 20/6/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01 / भू0अ0नि0 (3) विविध (नोडल पदाधिकारी) 05 / 2021 1480 पटना, दिनांक 20/6/22
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, 20/6/22
भू–अभिलेख एवं परिमाप